



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200



भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश/ विविध दिशानिर्देश/ 2026 नीति परिपत्र सं. 18.138/ 2026 दिनांक 29th अगस्त, 2026

{{(ई-ऑफिस फाइल सं. SRDQ-11020/3/2026-O/o Member (Project) (कम्प्युटर सं. 321601 पर लिया गया निर्णय)}}

NHAI/ Policy Guidelines/ Miscellaneous Guidelines/2026

Policy Circular No. 18.138/ 2026 dated 29th August, 2026

{{(Decision taken on E-Office File No. SRDQ-11020/3/2026-O/o Member (Project) (Comp No. 321601)}}

विषय: फ़लाई ऐश/पोंड ऐश की राख के प्रमाणन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया लागू पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) और ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचनाओं/आदेशों/एमओयू के अनुसार फ़लाई ऐश/पोंड ऐशपरिवहन लागत की प्रतिपूर्ति, और थर्मल पावर प्लांटों और राजमार्ग परियोजना स्थलों के बीच समन्वय।

Sub: Standard Operating Procedure for certification of Fly Ash/Pond Ash quantities, reimbursement of Fly Ash/Pond Ash Transportation Costs as per applicable MoEF&CC & Ministry of Power Notifications/orders/MoUs and Coordination between Thermal Power Plants and Highway Project Sites-reg:-

परिचय:- यह मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) थर्मल पावर प्लांट्स (टीपीपी) से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना स्थलों तक फ़लाई ऐश/पोंड ऐश के परिवहन के लिए अनुदान प्राप्तकर्ताओं/संविदाकारों द्वारा वहन की गई परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति करते हुए, फ़लाई ऐश/पोंड ऐश की मात्रा के प्रमाणन की प्रक्रिया की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इसका उद्देश्य मात्रा प्रमाणन में वर्तमान चुनौतियों का समाधान करना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना, और हितधारकों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करना है।

Introduction:- This Standard Operating Procedure (SOP) outlines the process for certification of Fly Ash/Pond Ash quantities, reimbursing transportation costs to Concessionaires/Contractors incurred for transportation of Fly Ash/Pond Ash from Thermal Power Plants (TPPs) to National Highways project sites. It aims to address current challenges in quantity certification, ensure transparency and streamline coordination among stakeholders.

2. **टीपीपी के साथ व्यवस्था का तरीका:** थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) आमतौर पर निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से परियोजना स्थलों को फ़लाई ऐश/पोंड ऐशकी आपूर्ति करते हैं:

Mode of arrangement with TPPs : Thermal Power Plants (TPPs) generally supply Fly Ash/Pond Ash to project sites through any of the following modes:

- दर संविदा,
Rate Contract,
- गंतव्य संविदा, और
Destination Contract and
- समझौता ज्ञापन (एमओयू)
Memorandum of Understanding (MoU)

Contd.....2/-

दर संविदा/गंतव्य संविदा व्यवस्था के तहत, थर्मल पावर प्लांट फ़्लाई ऐश/पोंड ऐश के परिवहन के लिए अपना स्वयं का संविदाकार नियुक्त करता है, और परिवहनकर्ता को भुगतान की प्रक्रिया के लिए उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा मात्रा प्रमाणीकरण आवश्यक है। एमओयू व्यवस्था के तहत, उपयोगकर्ता एजेंसी थर्मल से फ़्लाई ऐश/पोंड ऐश उठाने के लिए परिवहनकर्ताओं को (संविदाकार/कन्सेसनेयर के माध्यम से) नियुक्त करती है। तापीय बिजली संयंत्र, और परिवहन की गई मात्रा के प्रमाणन पर, तापीय बिजली संयंत्र समझौता जापन की शर्तों के अनुसार प्राधिकरण के माध्यम से संविदाकार/संचालक को परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति करता है।

Under the Rate Contract/Destination Contract arrangements, the Thermal Power Plant deploys its own Contractor for transportation of Fly Ash/Pond Ash, and quantity certification by the User Agency is required for processing payment to the transporter. Under the MoU arrangement, the User Agency deploys transporters (through Contractor/Concessionaire) for lifting Fly Ash/Pond Ash from the Thermal Power Plant, and upon certification of the transported quantity, the Thermal Power Plant reimburses the transportation cost to Contractor/Concessionaire through the Authority, as per the terms of the MoU.

थर्मल पावर प्लांट पर कोई मांग रखने से पहले, फ़्लाई ऐश/पोंड ऐश की विस्तृत आवश्यकता का निर्धारण, डिजाइन के अनुसार, कन्सेसनेयर/संविदाकार द्वारा किया जाएगा। एक बार जब आवश्यक मात्रा टीपीपी के साथ तय हो जाने के बाद, प्राधिकरण/टीपीपी की पूर्व स्वीकृति के बिना इस तय की गई मात्रा से अधिक किसी भी मात्रा को प्रमाणित नहीं किया जाएगा।

Detailed requirement of Fly Ash/Pond Ash, shall be ascertained by the Concessionaire/Contractor as per design before placing any demand on the Thermal Power Plant. Once the required quantity has been tied up with the TPPs, no quantity exceeding this fixed quantity shall be certified without prior approval of the Authority/TPPs.

3. **प्रमाणन समिति:** चालान के प्रमाणन के लिए, क्षेत्रीय अधिकारी की स्वीकृति से परियोजना निदेशक द्वारा एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें पीआईयू भाराप्रा से उप प्रबंधक (टी)/प्रबंधक (टी), प्राधिकरण के टीम लीडर/पुनर्वास इंजीनियर (आरई)/स्वतंत्र इंजीनियर (एई/आईई), कन्सेशनर/संविदाकार के परियोजना प्रबंधक, और फ़्लाई ऐश/पोंड ऐशविक्रेता/परिवहनकर्ता के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा, एमओयू की शुरुआत के दौरान (प्रारंभिक स्तर) और एमओयू के समापन (अंतिम चालान, अंतिम स्तर) पर स्तरों के प्रमाणन के लिए थर्मल पावर प्लांट के एक प्रतिनिधि को भी उपरोक्त समिति में शामिल किया जाएगा। यह समिति परियोजना निदेशक, भाराप्रा के माध्यम से थर्मल पावर प्लांटों को प्रस्तुत की जाने वाली मात्राओं और परिवहन बिलों के प्रमाणन के लिए जिम्मेदार होगी।

Certification Committee: A Committee comprising of Dy. Manager (T)/Manager (T) from PIU NHAI, Team Leader/RE of Authority/Independent Engineer (AE/IE), Project Manager of Concessionaire/Contractor, representatives of Fly Ash/Pond Ash Vendor/Transporter shall be formed by Project Director with the approval of Regional Officer for the certification of invoices. Further, a representative from the Thermal Power Plant shall also be included in the above committee for certification of levels during the start of the MoU (initial levels) and closure of MoU (Final Invoice, final levels). The committee shall be responsible for the certification of quantities and the transportation bills to be submitted to Thermal Power Plants through Project Director, NHAI.

4. परिवहन प्रोटोकॉल

Transportation Protocol:

- (i) फ़्लाई ऐश/पोंड ऐशका परिवहनकर्ता/विक्रेता, थर्मल पावर प्लांट (टीपीपी) द्वारा अनुमोदित और फ़्लाई ऐश/पोंड ऐश के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले सभी डंपर/टिपर के पंजीकरण नंबर, भाराप्रा पीआईयू, कन्सेसनेयर और एई/आईई को प्रदान करेगा।

Contd.....3/-



Transportation Protocol: The Transporter/Vendor of Fly Ash/Pond Ash shall provide registration numbers of all dumpers/tippers approved by the Thermal Power Plant (TPP) & to be used for transporting Fly Ash/Pond Ash, to NHAI PIU, Concessionaire & AE/IE.

- (ii) फ़लाई ऐश/पोंड ऐश ढोने वाले प्रत्येक वाहन के साथ थर्मल पावर प्लांट के अधिकारियों द्वारा जारी एक चालान होना चाहिए, जिसमें वाहन का पंजीकरण नंबर, प्रेषण की तारीख और समय, और ढोई गई सामग्री का सकल, बारदाना और शुद्ध वजन अंकित हो। इन चालानों का रिकॉर्ड विक्रेता/परिवहनकर्ता के साथ-साथ संविदाकार/संचालक द्वारा भी बनाए रखा जाएगा और इसे चालान-पत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।

Every vehicle transporting Fly Ash/Pond Ash shall be accompanied by a Challan issued by the Thermal Power Plant Authorities indicating the Vehicle registration number, date and time of dispatch and gross, tare and net weight of material transported. Record of these Challans shall be maintained by Vendor/Transporter as well as Contractor/Concessionaire and shall be submitted along with the invoices.

- (iii) टीपीपी द्वारा अनुमोदित लीड चार्ट के अनुसार एक विस्तृत परिवहन मार्ग मानचित्र, परिवहनकर्ता/विक्रेता द्वारा भाराप्रा पीआईयू और एई/आईई को प्रस्तुत किया जाएगा, ताकि टोल प्लाजा और अन्य निर्दिष्ट जांच चौकियों के माध्यम से वाहन की आवाजाही के सत्यापन में सुविधा हो सके।

A detailed transportation route map in accordance with the approved Lead Chart by TPP shall be submitted by Transporter/Vendor to NHAI PIU and AE/IE to facilitate verification of vehicle movement through Toll Plazas and other designated checkpoints.

- (iv) परिवहन में नियोजित सभी वाहनों की, परिवहन रिकॉर्ड की प्रामाणिकता सत्यापित करने के लिए, मार्ग-स्थलों, टोल प्लाजा और प्लेसमेंट स्थलों पर एई/आईई द्वारा जांच की जानी चाहिए।

All the Vehicles employed in transportation must be checked by the AE/IE at en-route locations, Toll Plazas and placement sites to verify the authenticity of transportation records.

- (v) मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले अनलोडिंग स्थल पर सभी वेटब्रिज उचित रूप से कैलिब्रेटेड (मानकीकृत) होने चाहिए और सक्षम प्राधिकारी से वैध प्रमाणन होना चाहिए, और कैलिब्रेशन प्रमाणपत्र समय-समय पर और एई/आईई और प्राधिकरण द्वारा अनुरोध किए जाने पर जमा कराए जाने चाहिए। वेट ब्रिज पर वाहनों के वजन की यादृच्छिक जांच एई/आईई द्वारा की जाएगी।

All Weighbridges at the unloading site used for measurement shall be duly calibrated and possess valid certification from the Competent Authority, and calibration certificates shall be submitted periodically and whenever requested by the AE/IE & Authority. Random checking of weight of vehicles at Weigh Bridge shall be done by AE/IE.

- (vi) हर टिप्पर/डम्पर के अनलोडिंग संचालन की भू-टैग की गई तस्वीरें परियोजना के रिकॉर्ड के हिस्से के रूप में रखी जाएंगी।

Geo-tagged Photographs of unloading operations of every Tipper/Dumper shall be maintained as part of the Project records.



- (vii) वेटब्रिज रिकॉर्ड, चालान, टोल रसीद और साइट माप के बीच किसी भी विसंगति की जाँच की जाएगी, और विवादित मात्राओं को समाधान होने तक प्रमाणन या भुगतान के लिए नहीं माना जाएगा।

Any discrepancy between weighbridge records, challans, toll receipts and site measurements shall be checked, and disputed quantities shall not be considered for certification or payment until resolution.

- (viii) फ्लाई ऐश/पोंड ऐश के स्थान निर्धारण का चेनेज-वार रिकॉर्ड संविदाकार/संचालक द्वारा प्रति सप्ताह एई/आईई को बनाए रखा और प्रस्तुत किया जाएगा।

Chainage-wise records of Fly Ash/Pond Ash placement shall be maintained and submitted on a weekly basis by the Contractor/Concessionaire to AE/IE.

- (ix) संबंधित थर्मल पावर प्लांट से अनुरोध किया जाएगा कि वह प्राधिकरण को प्रेषित वाहनों का साप्ताहिक विवरण संबंधित वेटब्रिज रिकॉर्ड के साथ प्रदान करे।

The concerned Thermal Power Plant shall be requested to provide weekly details of dispatched Vehicles along with corresponding weighbridge records to Authority.

- (x) एई/आईई द्वारा साइट पर प्रेषित मात्रा, परिवहन की गई मात्रा और मापी गई मात्रा की तुलना करने वाले मासिक सामंजस्य विवरण बनाए रखे जाएंगे। संविदाकार/पट्टेदार और एई/आईई द्वारा एमपीआर में साइट पर फ्लाई ऐश/पोंड ऐश की प्राप्ति का दिनांक-वार विवरण (वाहन पंजीकरण संख्या के विवरण सहित) और बिछाई गई फ्लाई ऐश/पोंड ऐश की मात्रा का चेनेज द्वारा मापन भी अद्यतन किया जाएगा।

Monthly reconciliation statements comparing dispatched quantity, transported quantity and measured quantity at site shall be maintained by the AE/IE. Date wise details of receipt of Fly Ash/Pond Ash at site (with details of vehicle registration number) and chainage wise measurement of layed quantity of Fly Ash/Pond Ash shall also be updated in the MPRs by the Concessionaire/Contractor and AE/IE.

- (xi) संविदाकार और परिवहनकर्ता/विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि परिवहन के दौरान कोई भी सामग्री विचलित न हो, खो न जाए, या अनधिकृत स्थानों पर निपटाई न जाए।

The Contractor & Transporter/Vendor shall ensure that no material is diverted, lost, or disposed of at unauthorized locations during transportation.

- (xii) संविदाकार/ कंसेसनेयर एक पृथक समायोजन रजिस्टर रखेगा जिसमें थर्मल पावर प्लांट से भेजी गई मात्रा, परिवहित मात्रा, साइट पर उपयोग की गई मात्रा, और शेष मात्रा का विवरण होगा।

The Contractor/Concessionaire shall maintain a separate reconciliation register indicating quantity dispatched from the Thermal Power Plant, Quantity transported, Quantity utilized at site and balance quantity.

- (xiii) संविदाकार/ कंसेसनेयर और परिवहनकर्ता/विक्रेता फ्लाई ऐश/पोंड ऐश के परिवहन, मात्रा माप, परीक्षण और प्लेसमेंट से संबंधित संपूर्ण दस्तावेजीकरण बनाए रखेंगे और इंजीनियर या प्राधिकरण/टीपीपी द्वारा जब भी आवश्यक हो, उसे प्रस्तुत करेंगे। सभी रिकॉर्ड संविदाकार द्वारा अनुबंध के अंतिम समापन तक संरक्षित रखे जाएंगे।

The Contractor/Concessionaire & Transporter/Vendor shall maintain complete documentation related to transportation, quantity measurement, testing and placement of Fly Ash/Pond Ash and shall produce the same whenever required by the Engineer or Authority/TPPs. All records shall be preserved by the Contractor until final closure of the Contract.

- (xiv) फ़लाई ऐश/पोंड ऐश के परिवहन, भंडारण, हैंडलिंग और प्लेसमेंट से संबंधित सभी लागू पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा नियमों का परिवहनकर्ता/विक्रेता और संविदाकार/कंसेसनेयर द्वारा सख्ती से पालन किया जाएगा।

All applicable Environmental, Health and Safety regulations relating to transportation, storage, handling, and placement of Fly Ash/Pond Ash shall be strictly complied with by the transporter/vendor and Contractor/Concessionaire.

- (xv) पीडी की स्वीकृति से, एई/आईई के पास दस्तावेजीकरण, गुणवत्ता नियंत्रण, मापन, या निगरानी आवश्यकताओं के अनुपालन न करने की स्थिति में परिवहन गतिविधियों को निलंबित करने का अधिकार होगा।

AE/IE with the approval of PD, NHAI shall have the right to suspend transportation activities in case of non-compliance with documentation, quality control, measurement or monitoring requirements.

5. प्रमाणीकरण प्रक्रिया:

Certification Process:

- (i) संयुक्त माप अनुमोदित आरएफआई के आधार पर किए जाएंगे, और माप पत्रों में विधिवत दर्ज पूर्व-स्तर और पश्चात-स्तर शामिल होंगे। फ़लाई ऐश/पोंड ऐश की मात्रा प्रत्येक फ़लाई ऐश/पोंड ऐश संपीड़ित भराव परत के प्रारंभिक और अंतिम स्तर और संबंधित क्रॉस-सेक्शन के आधार पर निर्धारित की जाएगी। लीड (लीड चार्ट) थर्मल पावर प्लांट द्वारा राख के स्थान से अनुमोदित लीड चार्ट के अनुसार होगी।

Certification Process: Joint measurements shall be carried out based on approved RFIs and measurement sheets shall include duly recorded pre-levels and post-levels. The quantity of Fly Ash/Pond Ash shall be determined based on the initial and final level of each Fly Ash/Pond Ash compacted fill layer and relevant cross sections. Lead shall be as per the approved lead chart from the ash dykes location by Thermal Power Plant.

- (ii) परियोजना स्थल पर फ़लाई ऐश/पोंड ऐश के निपटान शुरू करने से पहले, संविदाकार द्वारा साइट के ओजीएल दर्ज किए जाएंगे और एई/आईई द्वारा विधिवत 100% जाँच की जाएगी; समिति के सदस्यों द्वारा साइट पर ओजीएल की परीक्षण जाँच (न्यूनतम 5%) की जाएगी। Before start of the dumping of Fly Ash/Pond Ash at project site, the OGLs shall be recorded of the site by the contractor and duly 100% checked by the AE/IE; the test check (minimum 5%) of OGLs shall be done at site by the Committee Members.

- फ़लाई ऐश/पोंड ऐश की परतों को बिछाने और उन्हें संपीड़ित करने के बाद, स्तरों को संविदाकार द्वारा दर्ज किया जाएगा और भाराप्रा के एई/आईई द्वारा 100% जांचा और हस्ताक्षर किया जाएगा। एसओपी में उल्लिखित दस्तावेजीकरण रिकॉर्ड की जांच और सत्यापन एई/आईई द्वारा किया जाएगा और पीआईयू, एई/आईई में उपयोग किए गए डंपर/टिपर के टोल प्लाजा फास्टैग रिकॉर्ड की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा।

After laying of the Fly Ash/Pond Ash layers and their compaction, the levels shall be recorded by Contractor and 100% checked & signed by AE/IE of NHAI. The documentation record as mentioned in the SOP shall be checked and verified by AE/IE and PIU shall facilitate the availability of Toll Plaza Fastag record of the used Dumpers/Tippers to the AE/IE.

- विक्रेता, थर्मल पावर प्लांट के साथ हस्ताक्षरित एमओयू की शर्तों और नियमों के अनुसार थर्मल पावर प्लांट के लिए परिवहन लागत का चालू बिल तैयार करेगा। बिल थर्मल पावर प्लांट द्वारा समिति से मात्रा सत्यापित करवाने के लिए पीडी, भाराप्रा को भेजा जाएगा। The Vendor shall raise the running bill for transportation cost to the Thermal Power Plant as per terms and conditions of MoU signed with Thermal Power Plant. The bill shall be sent to PD, NHAI by Thermal Power Plant for getting the quantity verified from the Committee.

Contd.....6/-

- समिति के सदस्य स्तरों (न्यूनतम 5%) की जांच करेंगे, और बिल की मात्राओं को प्रमाणित करेंगे; तथा विधिवत जांचे और हस्ताक्षरित बिल को फिर से पीडी, भाराराप्रा को प्रस्तुत करेंगे। समिति यह कार्य 07 दिनों के भीतर पूरा करेगी।

The Committee Members shall test check the levels (minimum 5%) and certify the quantities of the bill; and again submit the duly checked and signed bill to the PD, NHAI. The Committee shall complete this exercise within 07 days.

- समिति द्वारा विधिवत जाँचा गया बिल, पीडी, भाराराप्रा द्वारा सह-हस्ताक्षरित किया जाएगा और भाराराप्रा को भुगतान जारी करने के लिए थर्मल पावर प्लांट को अनुशंसित किया जाएगा। थर्मल पावर प्लांट से भुगतान प्राप्त होने के बाद, वैधानिक कटौतियाँ करने के पश्चात, एमओयू के अनुसार फ़्लाइं ऐश/पोंड ऐश विक्रेता/संविदाकार को वही राशि जारी की जाएगी।

The duly checked bill by the Committee shall be counter-signed by the PD, NHAI and recommended to Thermal Power Plant for releasing the payments to NHAI. After receipt of the payments from the Thermal Power Plant, the same shall be released to the Fly Ash/Pond Ash vendor/Concessionaire as per MoU after making statutory deductions.

- समिति द्वारा ओजीएल और अंतिम संपीडित परत स्तरों के सत्यापन के दौरान, थर्मल पावर प्लांट के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

During the verification of OGLs and final compacted layer levels by the committee, the presence of the authorised representative from Thermal Power Plant shall be mandatory.

- (iii) संविदाकार को कम से कम 3 कार्यशील मोर्चे तैयार रखना चाहिए (जहाँ ओजीएल दर्ज किए गए हों और समिति द्वारा परीक्षण जांच की गई हो), ताकि फ़्लाइं ऐश/पोंड ऐश की अनलोडिंग के दौरान डंपरों की कोई कतार न लगे और भीड़-भाड़ न हो। संविदाकार को अनलोडिंग के लिए प्रत्येक स्थान पर मशीनरी का अलग-अलग सेट तैनात करना चाहिए ताकि फ़्लाइं ऐश/पोंड ऐश तुरंत अनलोड हो जाए और टर्नअराउंड समय न्यूनतम हो। इससे डंपरों की यात्राओं की संख्या बढ़ेगी और इस प्रकार काम की प्रगति होगी।

The Concessionaire shall keep atleast 3 working fronts ready (where OGLs have been recorded and test checked by the Committee) so that during unloading of the Fly Ash/Pond Ash, there is no queuing up and congestion of the dumpers. Concessionaire must deploy separate sets of Machinery at each location for unloading so that Fly Ash/Pond Ash is immediately unloaded and turnaround time is minimised. This shall increase the number of trips of the Dumpers and hence progress of the work.

- (iv) थर्मल पावर प्लांट के गेट पर प्रेषण से पहले दर्ज किए गए वज़न लॉग की मात्राएँ, भाराराप्रा परियोजना स्थल पर दर्ज वज़न लॉग की मात्राओं से मेल खानी चाहिए। इसके अलावा, कम्पैक्शन फैक्टर लागू करने के बाद, फ़्लाइं ऐश/पोंड ऐश की परतों और डंपरों के वज़न लॉग से प्राप्त संपीडित मात्राओं का मिलान होना चाहिए। मात्रा प्रमाणन, वेटब्रिज मात्रा और मापे गए सघनित आयतन में से जो भी कम हो, तक ही सीमित होगा।

The quantities of the weight logs as recorded at the Gate of the Thermal Power Plant before dispatch must match with the quantities of the weight logs recorded at NHAI Project site. Further, compacted quantities of the Fly Ash/Pond Ash layers and from the weight logs of dumpers should match after applying the compaction factor. Quantity certification shall be limited to the lower of the weighbridge quantity and the measured compacted volume.

Contd.....7/-



- (v) सभी प्रमाण पत्र, वजन लॉग/चालान, बिल, और बैठकों के कार्यवृत्त को एई/आईई, पीआईयू भाराराप्रा, संविदाकार और थर्मल पावर प्लांट के कार्यालय में आधिकारिक अभिलेखों के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए।

All certifications, Weight Logs/Challans, Bills, and Minutes of meetings must be maintained as Official records in the office of AE/IE, PIU NHAI, Contractor and Thermal Power Plant.

- (vi) यह एसओपी कंसेसनेयर को रियायत करार के दायरे में दिए जाने वाले अन्य नोटिसों, आरएफआईसे मुक्त नहीं करता है।

This SoP does not absolve the Concessionaire from the other notices, RFIs to be given under the ambit of the Concession Agreement.

6. उन कार्यों के लिए अलग-अलग एज-बिल्ट ड्राइंग तैयार और अनुरक्षण की जाएंगी जहाँ भराई सामग्री के रूप में फ्लाई ऐश/पोंड ऐश का उपयोग किया गया हो, जिसमें चैनेज, योजना, प्रोफाइल, क्रॉस-सेक्शन, परत की मोटाई को स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। इन ड्राइंगों को एई/आईई द्वारा प्रमाणित किया जाएगा और भविष्य के निरीक्षण, निगरानी, अनुरक्षण, लेखापरीक्षा और संदर्भ उद्देश्यों के लिए स्थायी परियोजना रिकॉर्ड के रूप में संरक्षित किया जाएगा।

Separate as-built drawings shall be prepared and maintained for works where Fly Ash /Pond Ash has been used as fill material clearly indicating chainages, plan, profile, cross-sections, layer thickness. These drawings shall be certified by the AE/IE and preserved as permanent project records for future inspection, monitoring, maintenance, audit and reference purposes.

7. **समीक्षा बैठकें:** समीक्षा बैठकें नीचे दी गई आवृत्ति के अनुसार आयोजित की जाएंगी। बैठकों का उद्देश्य प्रगति की समीक्षा करना, बाधाओं को दूर करना और परिवहन लागत की समय पर प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करना होगा।

Review Meetings: Review meetings shall be held as per the below mentioned frequency. The Objective of meetings shall be to review progress, address bottlenecks and ensure timely reimbursement of transportation cost.

- (i) **मासिक बैठक और साइट का दौरा:** जिसका नेतृत्व संयुक्त रूप से परियोजना निदेशक, भाराराप्रा और थर्मल पावर प्लांट के प्रतिनिधि करेंगे।

Monthly Meeting followed by site visit: To be headed jointly by Project Director, NHAI and representative of Thermal Power Plant.

- (ii) **त्रैमासिक बैठक जिसके बाद साइट का दौरा:** जिसका नेतृत्व भाराराप्रा के क्षेत्रीय अधिकारी और थर्मल पावर प्लांट के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से करेंगे।

Quarterly Meeting followed by site visit: To be headed jointly by Regional Officer, NHAI and representative of Thermal Power Plant.

8. सभी हितधारकों द्वारा फ्लाई ऐश/पोंड ऐश परिवहन के लिए एक पारदर्शी और कुशल प्रतिपूर्ति प्रक्रिया तथा बाधाओं और समस्याओं के त्वरित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए इस एसओपी का सख्ती से पालन किया जाना है।

This SOP is to be followed strictly by all Stakeholders to ensure a transparent and efficient reimbursement process for Fly Ash/Pond Ash transportation and expeditious resolution of bottleneck & issues.



9. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.



29/08/26

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)
प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.